

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

वेला

विपक्षी

स्क. इडा

दमा

बाद

पत्रावली संख्या

75/19

सन्

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी
सूचनाएं जारी क

1.7.24

पत्रावली पत्रावली वाडी अधिवक्ता अनुपास्थिते ।
प्रकरण लम्बे समय से लाक्षणिकी हेतु नियत है। वाडी उपस्थिते
नहीं हुए स्व नहीं साक्ष्य प्रस्तुत किये गए। न्यायालय द्वारा
कोर्ट सुनकर तीन बार आवाज लगवा डी गई बावजूद शिल्प
कोर्टे उपस्थिते नहीं हुए। जिससे जाहिर है कि वाडी अपने
बाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा बाद चलाना नहीं चाहते
है।

अतः वाडी का बाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम-
दानी अदम करवी के खारिज किया जाता है। निर्णय लेने-
इजलास सुनाया गया। प्रकरण कैमलशुभा होरा नम्बर
से कम है।

(रिया डबी)
IAS